

राजस्थान सरकार


स्वायत्त शासन विभाग राज0 जयपुर

(जी-3 राजमहल रेजीडेन्सीयल ऐरिया, सिविल लाईन फाटक, 22 गोदाम, जयपुर)  
क्रमांक:प.8(ग)(83)नियम/डीएलबी/2024/5213

दिनांक: 22/3/24

आदेश

विभागीय आदेश क्रमांक:प.8(ग)(83)नियम/डीएलबी/2024/4597-4894 दिनांक 20.03.2024 द्वारा श्वानो के संबध में जारी आवश्यक दिशा निर्देश को अपरिहार्य कारणो से प्रत्याहारित किया जाता है।


  
(सुरेश कुमार आला)  
निदेशक एवं संयुक्त सचिव

दिनांक: 22/3/24

क्रमांक:प.8(ग)(83)नियम/डीएलबी/2024/5214-5309

प्रतिलिपि:- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. संयुक्त सचिव, मुख्य सचिव, शासन सचिवालय जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
3. वरिष्ठ निजी सचिव, निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
4. उपनिदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग, समस्त राजस्थान।
5. आयुक्त/अधिशाषी अधिकारी, नगरीय निकाय, समस्त राजस्थान को भेजकर निर्देशित किया जाता है कि उक्त दिशा-निर्देशों की पालना सुनिश्चित की जावे।
6. प्रोग्रामर निदेशालय को विभागीय वेबसाईट पर उपलब्ध कराने हेतु।
7. सुरक्षित पत्रावली।

  
(लेखराज जाग्रत)  
वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी